राष्ट्रीय विकलांगता पक्ष-समर्थन ढाँचे
(National Disability Advocacy Framework)
2022-25

परिचय

विकलांगता पक्ष-समर्थन विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों को बनाए रखना, प्रोत्साहित करना और महत्व देना सुनिश्चित करके उन्हें समर्थित करता है। यह विकलांगता-ग्रस्त लोगों को निर्णयों और प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बना सकता है, ताकि उनके अधिकारों, कल्याण और हितों को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए इसमें पक्ष-समर्थन सेवाओं द्वारा उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए समर्थित किया जाना शामिल है, विशेषकर सेवाओं और समर्थन की सुलभता तथा अपने-अपने समुदायों में सक्रिय रूप से शामिल होने के संदर्भ में।

राष्ट्रीय विकलांगता पक्ष-समर्थन ढाँचे 2022-25 (ढाँचे) राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के बीच विकलांगता पक्ष-समर्थन के लिए एक साझी प्रतिबद्धता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांगता वाले सभी लोगों के लिए पूरे देश-भर में पक्ष-समर्थन सेवाएँ सुलभ हो पाएँ। यह ढाँचा सरकारों को विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए परिणामों और सुलभता में सुधार करने के उद्देश्य से पक्ष-समर्थन सेवाओं और मानकों के संरेखण की दिशा में काम करने की अनुमति देगा।

2008 में विकलांगता मंत्रियों ने राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र के अधिकारियों से पक्ष-समर्थन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सुसंगत रूपरेखा विकसित करने का अनुरोध किया, जिसमें व्यक्तिगत और प्रणाली-व्यापी पक्ष-समर्थन, सामान्य परिभाषाएँ और वांछित परिणाम व आकड़ों से संबंधित मुद्दे शामिल थे। राष्ट्रीय विकलांगता पक्ष-समर्थन ढाँचे 2012 (2012 ढाँचे) ने विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए पक्ष-समर्थन के प्रावधान का मार्गदर्शन करने और सरकार द्वारा वित्त पोषित संपूर्ण पक्ष-समर्थन कार्यक्रमों में और भी अधिक संगतता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण परिणामों की स्थापना की।

ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति (Australia’s Disability Strategy*) 2021-2031* (कार्यनीति) के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए विकलांगता-ग्रस्त लोगों के साथ परामर्श करके *2012* ढाँचे को संशोधित किया जा रहा है। यह कार्यनीति लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने और समुदाय में उनके समावेश और भागीदारी के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। कार्यनीति के तहत सुरक्षा, अधिकार और न्याय परिणाम क्षेत्र (Safety, Rights and Justice Outcome Area) विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने और इन्हें बनाए रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाने तथा समर्थित करने के लिए विकलांगता पक्ष-समर्थन के एक महत्वपूर्ण तरीका होने के रूप में स्वीकार करता है। इस परिणाम क्षेत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 'विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए, बनाए रखा जाए और संरक्षित किया जाए, तथा विकलांगता-ग्रस्त लोग सुरक्षित महसूस करें और कानून के सामने समानता का अनुभव करें'। यह परिणाम कथन ढाँचे को रेखांकित करने वाला मुख्य सिद्धांत है।

कार्यान्वयन

ढाँचे को विकलांगता पक्ष-समर्थन कार्य योजना द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो इसके उद्देश्य, सिद्धांतों और परिणामों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देगी। कार्य योजना को राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के बीच विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा। कार्य योजना को विकलांगता-ग्रस्त लोगों के साथ संलग्नता के माध्यम से सूचित किया जाएगा और जहाँ उचित हो, कार्यनीति की लक्षित कार्य योजनाओं के साथ संरेखित किया जाएगा।

2025 में इस ढाँचे की समाप्ति से 12 महीने पहले ढाँचे को नवीकृत किए जाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें पक्ष-समर्थन कार्य योजना की प्रगति, तथा विकलांगता-ग्रस्त लोगों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं शोषण के लिए राजकीय आयोग (Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability) से प्राप्त जनपरामर्श और निष्कर्षों को शामिल किया जाएगा ।

मूलाधार

विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अक्सर ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो समाज में शामिल होने की उनकी क्षमता को बाधित करती हैं और इसके परिणामस्वरूप जीवन में खराब परिणाम प्रकट होते हैं। इसमें शारीरिक, संचारिक, व्यवहारिक, आर्थिक और प्रणालीगत बाधाएँ शामिल हैं। पक्ष-समर्थन से विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों का फैसला करने और इनमें भाग लेने की क्षमता मिलती है, ताकि उनके अधिकारों को प्रोत्साहन और संरक्षण मिल सके।

ढाँचा यह मानता है कि समुदाय के सभी सदस्यों को लिंग, आयु, शिक्षा, रोजगार, लैंगिक रुझान, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक समूह, प्रजातीयता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का अनुभव हो सकता है। विकलांगता का अनुभव अक्सर अतिरिक्त नुकसान और कलंक का कारण होता है।

ढाँचे को एक व्यक्ति-केंद्रित और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से रेखांकित किया गया है, जिसके अंतर्गत इसे नीतियों और कार्यक्रमों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का उत्तर देने तथा विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों को दर्शाने के लिए अवरचित किया गया है।

लक्ष्य

सरकारों द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्य के रूप में ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता पक्ष-समर्थन के प्रावधान के लिए प्रयास करते समय इस ढाँचे के माध्यम से पक्ष निम्नलिखित लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं:

विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए प्रभावी विकलांगता पक्ष-समर्थन सुलभ है, जो उनके लिए अपने सभी मानवाधिकारों को संपूर्णता और समरूपता से अनुभव कर पाने की क्षमता को प्रोत्साहित, संरक्षित और सुनिश्चित करता है, ताकि वे समुदाय में संपूर्ण भागीदारी और समावेशन में सक्षम बन सकें।

सिद्धांत

ढाँचा निम्नलिखित द्वारा सूचित है और इनके कार्यान्वयन का समर्थन करता है:

- *विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)*
- *विकलांगता भेदभाव अधिनियम (Disability Discrimination Act) 1992*
- *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति (Australia’s Disability Strategy) 2021-2031*
- *अंतराल समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय समझौता (Closing the Gap National Agreement)।*
- *एनडीआईएस गुणवत्ता एवं सुरक्षा ढाँचा (NDIS Quality and Safeguarding Framework)*
- *सूचना कड़ियाँ एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Information Linkages and Capacity Building program)*

इस ढाँचे में शामिल पक्षकार विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए पक्ष-समर्थन के प्रावधान का मार्गदर्शन करने के रूप में निम्नलिखित राष्ट्रीय विकलांगता पक्ष-समर्थन सिद्धांतों को स्वीकार और अंगीकृत करते हैं:

अधिकारों और क्षमता का पूर्वानुमान

- सभी लोगों को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार है।
- सभी लोगों को किसी भी परिवेदना या शिकायत का अनुसरण करने का अधिकार है।
- सभी लोगों को निजता, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार है।

- सभी वयस्कों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने, और उन निर्णयों का सम्मान किए जाने का समान अधिकार है।

- विकलांगता-ग्रस्त बच्चों और युवा लोगों को किसी भी क्षमता में अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है।

- विकलांगता-ग्रस्त वयस्कों को अपने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने और उनमें भाग लेने में पूर्वानुमानित रूप से सक्षम माना जाएगा।

समर्थनों के लिए सुलभता

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए प्रभावी और उपयुक्त संचार को सुविधाकृत करना विकलांगता पक्ष-समर्थन का एक अनिवार्य घटक है।

- जिन विकलांगता-ग्रस्त लोगों को निर्णय लेने में समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों का निर्देशन उनकी इच्छाओं, प्राथमिकताओं और अधिकारों द्वारा किया जाना चाहिए।

भागीदारी और समावेशन

- विकलांगता पक्ष-समर्थन संपूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने और समाज में विकलांगता-ग्रस्त लोगों को शामिल करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।

न्याय

- विकलांगता पक्ष-समर्थन में कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व समाविष्ट हैं, जहाँ विकलांगता-ग्रस्त लोगों को उनके अधिकारों का उपयोग करने में सहायता देने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण

- *'हमारे बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं'* सिद्धांत के अनुरेखण में विकलांगता पक्ष-समर्थकों को चाहिए कि वे:

  - यह सुनिश्चित करें कि व्यक्ति की आवाज को समझा और सुना जाता है

  - व्यक्ति-विशेष की प्रबलताओं की पहचान करके व्यक्ति-विशेषों को अपनी आवाज का उपयोग करने, तथा निर्णयों और परिणामों में उनकी भागीदारी को अधिकतम बनाने के लिए इन प्रबलताओं का उपयोग करने में उन्हें सशक्त बनाना; और

  - व्यक्ति-विशेषों को आत्म पक्ष-समर्थन में शिक्षित करके उनकी आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहित करना।

आदिवासी (एबोरिजनल) और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी विकलांगता-ग्रस्त लोग

- अंतराल समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय समझौते के अनुरेखण में विकलांगता-ग्रस्त आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के लिए यह सुनिश्चित करना कि:

  - विकलांगता पक्ष-समर्थन की अवरचना और कार्यान्वयन के समर्थन के लिए भागीदारियों और निर्णय लेने की साझा प्रक्रियाओं को कियान्वित किया जाता है

  - समुदाय-नियंत्रित क्षेत्र को पक्ष-समर्थन प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जाता है

  - गैर-स्वदेशी विकलांगता पक्ष-समर्थन की सांस्कृतिक सुरक्षा और क्षमताओं को सशक्त बनाया जाता है; और

  - विकलांगता पक्ष-समर्थन में योगदान देने, इसे तय करने और इसकी निगरानी करने के लिए स्थानीय रूप से संगत आकड़ों और जानकारी की सुलभता है तथा इनका उपयोग करने की क्षमता है।

प्रतिच्छेदन और विविधता का सम्मान

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों की विविधता का ऐसी परिस्थितियों में भी सम्मान किया जाता है, जहाँ वे अपनी आयु, लिंग, संस्कृति, विरासत, भाषा, आस्था, यौन पहचान, संबंध की स्थिति और अन्य प्रासंगिक कारकों के कारण भेदभाव और क्षति के अतिरिक्त प्रारूपों से प्रभावित होते हैं।

सुरक्षण

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है, बनाए रखा जाता है और संरक्षित किया जाता है, और विकलांगता-ग्रस्त लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तथा कानून के सामने समानता का अनुभव करते हैं।

- व्यक्ति-विशेषों को ऐसी परिस्थितियों की पहचान करने और समझने के लिए समर्थित किया जाता है जब उनके प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण किया गया है और यह समझने के लिए समर्थित किया जाता है कि उन्होंने जो अनुभव किया है, उसकी प्रतिक्रिया में वे क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

परिणाम

इस ढाँचे के संरेखण में प्रदान की गई विकलांगता पक्ष-समर्थन सहायता निम्नलिखित परिणामों में योगदान देगी:

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अन्य सभी ऑस्ट्रेलियावासियों के समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

- विकलांगता-ग्रस्त लोग संवृद्ध विकल्प, नियंत्रण और कल्याण का आनंद उठाते हैं, निर्णय लेने के अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को तय करने की सभी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, और उन निर्णयों को तय करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करते हैं।

- विकलांगता-ग्रस्त लोग हमारे समुदायों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने में सक्षम हैं।
- विकलांगता-ग्रस्त लोग चाहे जहाँ भी रहते हों, उनके लिए गुणवत्ता और स्वतंत्र पक्ष-समर्थन सहायता सुलभ है।
- विकलांगता-ग्रस्त लोगों को, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एकाधिक नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है, प्रभावी व्यवहार और विकलांगता समर्थनों तथा सेवाओं और/या मुख्यधारा सेवाओं तथा सुविधाओं की सुलभता के लिए समर्थित किया जाता है, जिसमें न्याय और कानूनी पक्ष-समर्थन के लिए सहायक, अनुकूलनशील और सामयिक सुलभता शामिल है।

- आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी विकलांगता-ग्रस्त लोगों के पास इस बारे में अपनी राय देने का अधिक अधिकार होगा कि पक्ष-समर्थन की अवरचना और वितरण कैसे किया जाता है; उनके पास सांस्कृतिक और भाषाई रूप से उपयुक्त व सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित विकलांगता पक्ष-समर्थन की सुलभता है, जिसमें विकलांगता पक्ष-समर्थन प्रदान करने वाले समुदाय-नियंत्रित संगठनों की सुलभता भी शामिल है; और उनके पास स्थानीय रूप से संगत आकड़ों तथा जानकारी की सुलभता और उपयोग करने की क्षमता है।

- सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधतापूर्ण समुदायों के पास सांस्कृतिक और भाषाई रूप से उपयुक्त, तथा सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित विकलांगता पक्ष-समर्थन की सुलभता है, जो प्रासंगिक स्थानीय समुदायों की संलग्नता और इनपुट की सुविधा प्रदान करता है।

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों के पास समर्थन और सेवाओं के बारे में अपने विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करने के विविध तरीके उपलब्ध हैं, वे स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और उनके पास शिकायत तंत्र तथा स्वतंत्र समर्थन एवं सलाह सुलभ रहता है जब वे अपने द्वारा खरीदे या संलग्न किए जाने वाले समर्थनों और सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं या शिकायत करते हैं।

- व्यक्तिगत पक्ष-समर्थन प्राप्त करने वाले विकलांगता-ग्रस्त लोगों की जनसांख्यिकी उन समुदायों की विविधता को दर्शाती है, जिनमें एजेंसियाँ काम कर रही हैं।

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों के पास उन्हें प्रभावित करने वाली विकलांगता और अन्य व्यापक सरकारी नीतियों के विकास, वितरण और आकलन, तथा इन कार्यक्रमों और सेवाओं के सभी पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर है।

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए बाधाओं, विकलांगता से जुड़े कलंक और पक्ष-समर्थन सहायता की उपस्थिति व इसके मूल्य के बारे में सामुदायिक जागरुकता में वृद्धि होती है।

परिभाषाएँ

विकलांगता पक्ष-समर्थन विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अपने मानवाधिकारों का संरक्षण और इन्हें संवर्धित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए सक्षम बनाता है।

व्यक्तिगत पक्ष-समर्थन अनुचित व्यवहार या दुर्व्यवहार के प्रकरणों को रोकने या संबोधित करने के लिए किसी व्यावसायिक पक्ष-समर्थक, संबंधी, मित्र या स्वयंसेवी द्वारा एक-के साथ-एक विधि को अपनाना है।

प्रणालीगत पक्ष-समर्थन में लंबी समयावधि में सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना शामिल होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून, नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से विकलांगता-ग्रस्त लोगों के सामूहिक अधिकारों और हितों का प्रवर्तन किया जा सके।

आत्म पक्ष-समर्थन किसी विकलांगता-ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किया गया पक्ष-समर्थन, जो स्वयं अपने लिए आवाज उठाता है और स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करता है। समुदाय-आधारित समूहों के माध्यम से आत्म पक्ष-समर्थन के लिए सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध है।

उत्तरदायित्व, सुधार और नीति निर्देश

- राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारें इस रूपरेखा के लिए सहमति देकर अपने-अपने न्यायाधिकार क्षेत्रों में विकलांगता पक्ष-समर्थन के उत्तरदायित्व को साझा करने के लिए प्रतिबद्धता देती हैं। प्रत्येक पक्ष-समर्थन कार्यक्रम को कैसे विकसित, निधीकृत और प्रबंधित किया जाता है, यह निधीकरण करने वाली सरकार का निर्णय और बाद का उत्तरदायित्व होता है।

- राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारें इस रूपरेखा के लिए सहमति देकर पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में विकलांगता पक्ष-समर्थन का एक प्रभावी नेटवर्क प्राप्त करने के लिए साथ-मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता देती हैं। इसमें विकलांगता पक्ष-समर्थकों की क्षमता का निर्माण और राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के विकास को समर्थन देना शामिल है।

- राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारें इस रूपरेखा के लिए सहमति देकर इन बातों के लिए प्रतिबद्धता देती हैं:

  - यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों को प्रभावित करने वाली नीति और सुधार की अवरचना और कार्यान्वयन करते समय अवरचना के केंद्र में विकलांगता-ग्रस्त लोग शामिल हैं। इसमें लागू की गई व्यक्ति-केंद्रित विधियाँ और सह-अवरचना के सिद्धांत शामिल हैं।

  - विकलांगता पक्ष-समर्थन के प्रावधान में इस ढाँचे के लक्ष्य और परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से लगातार चलने वाली नीति और सुधार निर्देश।

  - विकलांगता क्षेत्र और समुदाय में विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों और विकलांगता पक्ष-समर्थन के महत्व के बारे में जागरुकता का निर्माण।

  - यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता पक्ष-समर्थन का वित्त-पोषण पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह है, तथा भौगोलिक विस्तार और सेवाओं में अंतरालों की पहचान की जाती है और उन्हें संबोधित किया जाता है।

- विकलांगता पक्ष-समर्थन के प्रशासन और नियोजन तथा सेवा प्रणालियों के सुधार के लिए प्रमाण पर आधारित आकड़ों का संग्रह, उपयोग और रिपोर्टिंग।

- विकलांगता पक्ष-समर्थन संगठनों, विकलांगता सेवाओं, राष्ट्रीय विकलांगता बीमा एजेंसी (National Disability Insurance Agency), मुख्यधारा सेवाओं, समुदाय-आधारित सेवाओं और सरकारों के बीच समन्वय और संचार में सुधार करना, ताकि विकलांगता क्षेत्र की समग्र क्षमता विकसित की जा सके, जिसमें व्यक्तिगत और प्रणालीगत पक्ष-समर्थन के बीच संबंधों को बढ़ावा देना भी शामिल है।

- अंतराल समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय समझौते के प्राथमिकता सुधारों के अनुरेखण में पक्ष-समर्थन का प्रवर्तन।